संख्या-2/2025/I/942203/2025/10-25002(001)/2/2024

प्रेषक,

शिव सिंह,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स,
उ०प्र०, लखनऊ।

वित्त (लेखा परीक्षा) अनुभाग-2 लखनऊ: दिनांक 24 अप्रैल, 2025

विषयः- वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के के अन्तर्गत रजिस्ट्रार, फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स, उ०प्र० के विभिन्न मदों में प्रावधानित धनराशि को निवर्तन पर रखा जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-65 के लेखा शीर्ष 3475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवायें-200-अन्य कारोबार उपक्रमों का विनियमन-03-भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उत्तर प्रदेश चिट फण्ड्स अधियिनम का कार्यान्वयन'' के अन्तर्गत प्रावधानित धनराशि **रू०** 28,58,50,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र) को निम्नवत् आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

1- उक्त धनराशि को व्यय करने में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या:6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में दिए गए दिशा-निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन किया जायेगा।

2- यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशियों का प्रदेशन (एलाटमेंट) मात्र किसी प्रकार का व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल और फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा स्थाई आदेशों के अन्तर्गत सम्बन्धित/सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जायेगी।

3- यदि किसी व्यय के लिए शासन स्तर से वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति का प्रस्ताव शासन को सन्दर्भित किया जाय, तो सन्दर्भित व्यय के लिए आय-व्ययक में प्रावधानित धनराशि की उपलब्धता इंगित करते हुए लेखाशीर्ष का भी उल्लेख प्रस्ताव में अवश्य अंकित किया जाय।

4- उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के पैरा-88 के अनुसार नियंत्रक अधिकारी/विभागाध्यक्ष इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि व्यय को कड़ाई के साथ प्राधिकृत विनियोग के भीतर रखा जाय। तत्काल धनराशि अधीनस्थ कार्यालयों के निवर्तन पर रख कर जारी स्वीकृतियों की एक प्रति शासन को उपलब्ध करायी जाय।

2- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्षः 3475002000300 (भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्ड्स अधिनियम का कार्यान्वयन)

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष	मानक मद	स्वीकृत धनराशि
1	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	01 वेतन	10,65,00,000 (रुपये दस करोड़ पैंसठ लाख मात्र)
2	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	02 मजदूरी	20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र)
3	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	03 मंहगाई भत्ता	6,39,00,000 (रुपये छह करोड़ उनतालीस लाख मात्र)
4	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	04 यात्रा व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
5	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	05 स्थानान्तरण यात्रा व्यय	5,00,000 (रुपये पाँच लाख मात्र)
6	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	06 अन्य भत्ते	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
7	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	07 मानदेय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
8	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	08 कार्यालय व्यय	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
9	065	3475002000300	09	35,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	विद्युत देय	(रुपये पैंतीस लाख मात्र)
10	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	10 जलकर / जल प्रभार	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
11	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	11 लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	25,00,000 (रुपये पच्चीस लाख मात्र)
12	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	70,00,000 (रुपये सत्तर लाख मात्र)
13	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	13 टेलीफोन पर व्यय	8,00,000 (रुपये आठ लाख मात्र)
14	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
15	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	16 व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4,00,00,000 (रुपये चार करोड़ मात्र)
16	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	17 किराया, उपशुल्क और कर–स्वामिस्व	80,00,000 (रुपये अस्सी लाख मात्र)
17	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	18 प्रकाशन	7,50,000 (रुपये सात लाख पचास हजार मात्र)
18	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज	19 विज्ञापन, बिक्री	5,00,000

http://shasanadesh.up.gov.in

		रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	और विख्यापन व्यय	(रुपये पाँच लाख मात्र)
19	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	29 अनुरक्षण	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
20	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	42 अन्य व्यय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
21	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	44 प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
22	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	45 अवकाश यात्रा व्यय	2,00,000 (रुपये दो लाख मात्र)
23	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
24	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/ तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	15,00,000 (रुपये पन्द्रह लाख मात्र)
25	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	49 चिकित्सा व्यय	50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र)
26	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	51 वर्दी व्यय	1,00,000 (रुपये एक लाख मात्र)
27	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट	55 मकान किराया भत्ता	80,00,000 (रुपये अस्सी

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

		फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन		लाख मात्र)
28	065	3475002000300 भारतीय भागिता अधिनियम, सोसाइटीज रजिस्ट्रीकरण अधिनियम तथा उ. प्र. चिट फण्डस् अधिनियम का कार्यान्वयन	58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	1,00,00,000 (रुपये एक करोड़ मात्र)
	कुल			**28,58,50,000 (रुपये अट्ठाईस करोड़ अट्ठावन लाख पचास हजार मात्र)**

के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्याः6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

शिव सिंह
विशेष सचिव।

संख्या-2/2025/I/942203/2025/10-25002(001)/2/2024, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
2- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज ।
3- निदेशक, कोषागार, उत्तर प्रदेश, जवाहर भवन, लखनऊ।
4- मुख्य कोषाधिकारी, प्रयागराज।
5- निदेशक, वित्तीय सांख्यकी निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- श्री सिद्धार्थ श्रीवास्तव, अपर निदेशक, वित्त, उत्तर प्रदेश शासन।
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

एस० पी० सिंह
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।